न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 28/2018

ओमप्रकाश रोठौर एफ0एस0ओ0 कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पश्चिम मध्य रेल्वे कोटा।

सायल

बनाम

अनिल कुमार पुत्र श्री बाबूलाल वैण्डर ऑफ मैसर्स श्रीमती अतरदेवी फूड ट्रोली नं0 6 बयाना जं0 (खाद्य कारोबारकर्ता/अधिकृत व्यक्ति) निवासी अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल 279 विजय कोलोनी स्टेशन रोड बार्ड–1 बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

गैर सायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति :
गैर सायल स्वयं।

निर्णय

दिनांक : 13.6.2018

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 10.7.2017 को प्रातः 9.30 बजे पर गैरसायल की फूड ट्रोली मै0 श्रीमती अतरदेवी फूड ट्रोली नं0 –6 बयाना जं0 का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त फूड ट्रोली पर आम जनता के इस्तेमाल एवं विक्रय हेतु कचौडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी) रखी हुई पायी गई। जिसमें मिलावट अथवा संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–689/एक्ट/2017/710 दिनांक 24.7.2017 द्वारा उक्त कचौडी (रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयन से बनी हुई) को अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक (Substandard) स्तर की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस. एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. का उल्लघंन किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह कचौडी जिसका नमूना अवमानक पाया गया है मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। जिसका भी हमने तत्समय ही सुधार कर लिया गया । गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खाद्य वस्तु का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण गैर सायल की फूड ट्रोली पर आम जनता को विक्रय हेतु कचौडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी हुई) का नियमानुसार नमूना लिया जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–689/एक्ट/2017/710 दिनांक 24.7.2017 द्वारा अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक स्तर के खा वस्तु कचौडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी हुई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. का उल्लघंन किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैर सायलान को 1,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायलान द्वारा रसीद संख्या 000057 दिनांक 13.6.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.6.2018 को सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर